

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, हिमाचल प्रदेश
में दिनांक 14-दिसम्बर-2015 को
हिंदी समिति की बैठक, हिंदी कार्यशाला एवं हिंदी संगोष्ठी का आयोजन

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और सरकार की राजभाषा नीति के प्रति अनुकूल वातावरण बनाने के लिए केंद्र सरकार के कार्यालयों में वर्ष की प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यान्वयन समिति की बैठक, हिंदी की कार्यशाला एवं हिंदी संगोष्ठी का आयोजन अपेक्षित है।

इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2015 की चतुर्थ एवं अंतिम तिमाही (01-अक्टूबर-2015 से 31-दिसम्बर-2015) के दौरान दिनांक 14-दिसम्बर-2015 को कार्यालय की हिंदी कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया। समिति की बैठक में एन आई सी हि.प्र. एवं समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की समीक्षा की गयी। एवं यह पाया गया, कि श्री अजय सिंह चौहल, राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी जी के मार्गदर्शन में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा कार्यालय में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है।

हिंदी कार्यान्वयन समिति की बैठक के तत्पश्चात हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया

गया। हिंदी कार्यशाला के आयोजन हेतु कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने-अपने नाम कार्यशाला के आरम्भ होने से पूर्व सूचित करने का अनुरोध किया गया था, जिन्हें कार्यालय में अथवा अपने कार्यक्षेत्र में हिंदी में कार्य करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही हो। परन्तु



किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी ने अपना नाम नामित नहीं किया एवं सभी ने सूचित किया,

कि उनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार कार्यशाला के दौरान सभी उपस्थित महानुभावों ने विचारों का आदान-प्रदान किया, विचारों के आदान-प्रदान के दौरान मूल विषय अपने-अपने कार्ययालयों एवं कार्यक्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग एवं बढ़ावा देना ही रहा। इस प्रकार से विशेष कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया।

हिंदी कार्यशाला के तत्पश्चात एन.आई.सी. हिमाचल प्रदेश कार्यालय में हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हि.प्र. राज्य केंद्र एवं सभी अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। जिला केन्द्रों एवं अन्य कार्यालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भाग लिया। संगोष्ठी के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राजभाषा हिंदी को कार्यालय के कार्यों में प्रयोग करने एवं बढ़ावा देने हेतु अपने-अपने विचार रखे, जो कि सभी के लिए अत्यंत उत्साह पूर्ण थे। संगोष्ठी के दौरान श्री विनोद गर्ग जी एवं विमल कुमार शर्मा जी का योगदान विशेष रूप से रहा।



इसके उपरांत श्री अजय सिंह, राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी जी ने राजभाषा विभाग, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का स्मरण करवाया एवं कुछ अधिकारियों की शंका को दूर करते हुए अवगत करवाया, कि राजभाषा विभाग द्वारा अधिनियम व नियम पहले से ही जारी किये जा चुके हैं एवं सभी अधिकारी एवं कर्मचारी गण कड़ाई से उनका अनुपालन करना सुनिश्चित करें। राजभाषा

सम्बंधित समस्त निर्देश सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के संज्ञान में कार्यालय द्वारा पहले से ही लाये जा चुके हैं।

हिंदी कार्यशाला एवं संगोष्ठी में निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

क्रम सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	क्रम सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम
1	अजय सिंह चौहल	19	राकेश कुमार
2	ललित कपूर	20	वीरेन्द्र प्रताप गुप्ता
3	संदीप सूद	21	विनोद कुमार गर्ग
4	विजय कुमार गुप्ता	22	भुपिंदर सिंह
5	संजय कुमार	23	भुपिंदर पाठक
6	संजय शर्मा	24	बलवान सिंह
7	विमल कुमार शर्मा	25	ब्रिजेन्द्र कुमार डोगरा
8	संदीप कुमार	26	राजीव कुमार
9	दलजीत सिंह राणा	27	अनुज ढांगर
10	संजीव कुमार गुप्ता	28	गुरप्रीत सिंह
11	आशीष शर्मा	29	अखिलेश भारती
12	सी. एल. कश्यप	30	अश्वनी कुमार
13	मुकेश कुमार	31	दीपक कुमार
14	प्रवीण शर्मा	32	मोहन राकेश अग्रवाल
15	सर्वजीत कुमार	33	संजीव कुमार
16	वंदना धीमान	34	अनुराग गुप्ता
17	अमित कन्नोजिआ	35	स्मृति जैन
18	पृथ्वी राज नेगी	36	शंकर लाल

हिंदी कार्यशाला एवं संगोष्ठी के दौरान प्रदेश के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने-अपने विचार रखे, जो कि सभी के लिए अत्यंत उत्साह पूर्ण थे। विचारों की प्रस्तुति के दौरान विशेष बिन्दुओं पर चर्चा भी हुई, और श्री अजय सिंह चौहल, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी जी के मार्गदर्शन, कार्यालय की हिंदी कार्यान्वयन समिति और सभी उपस्थित महानुभावों की राय के उपरांत निम्नलिखित सुझावों को कार्यालय में लागू करने एवं कार्य करने का निर्णय लिया गया।

1. कार्यालय में हिंदी की शब्दावली का प्रयोग बढ़ाने के लिए सप्ताह वार हर कार्य दिवस पर एन.आई.सी. के अधिकारी हिंदी का शब्द एवं विचार, ई-मेल द्वारा सभी एन.आई.सी. हि.प्र. के अधिकारियों को भेज रहे हैं।
2. इसी तरह सप्ताह में एक बार हिंदी का शब्द एवं विचार भेजने वाले अधिकारी/ कर्मचारी को, कम से कम एक तथ्य (Fact) वाक्य के रूप में भेजना एवं उसका स्रोत बताना (source) है, तथा उसके ऊपर या किसी और तथ्य के ऊपर अपनी ओर से कम से कम 10 वाक्य लिखने होंगे एवं स्रोत का उल्लेख करना होगा।